

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- विविरा-माध्य/पेंशन-अ/34925/पी-2/2012

दिनांक :- 10.11.2020

समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र  
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी  
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय ।

विषय :- माह अक्टूबर 2020 की पेंशन प्रकरणों की मासिक सूचना बाबत।

आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों की माह अक्टूबर 2020 की पेंशन प्रकरणों की मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्रों (प्रपत्र 1 से 8 तक) में तैयार कर दिनांक 21.11.2020 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करें। इस कार्यालय द्वारा बार बार निर्देश देने के बावजूद आप द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में पेंशन की पूर्ण सूचनाएँ नहीं भेजी जा रही हैं। कई संयुक्त निदेशक कार्यालयों द्वारा इस कार्यालय द्वारा दूरभाष पर बार बार निर्देश देने के बावजूद भी पेंशन सम्बन्धी सूचनाएँ समय पर नहीं भिजवाई जा रही हैं। जिससे राज्य सरकार एवं उच्च अधिकारियों को इस कार्यालय द्वारा पेंशन सम्बन्धी सूचना से समय पर अवगत नहीं कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः पेंशन सम्बन्धी पूर्ण सूचना समय पर भेजी जावे। बकाया पेंशन प्रकरण जो पेंशन विभाग को नहीं भेजे गये हैं तथा पेंशन विभाग से आक्षेपित होकर वापिस प्राप्त हुए हैं इनके निस्तारण के सम्बन्ध में शिथिलता को निदेशक महोदय द्वारा गंभीर माना है। सितम्बर माह में पेंशन विभाग एवं विभाग में क्रमशः 1006 व 403 बकाया प्रकरण हैं।

अतः बकाया पेंशन प्रकरणों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित करवाने का श्रम करें। बकाया पेंशन प्रकरणों की नियमित मोनेटरिंग संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जावे। कोई भी पेंशन प्रकरण लम्बे समय तक बकाया न रहे इस बात की सुनिश्चितता की जावे। विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं पेंशन नियम 89 के तहत पेंशन में विलम्ब के प्रकरणों में ब्याज के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.10.2020, 27.10.2020 एवं 29.10.2020 द्वारा बकाया पेंशन प्रकरण का निस्तारण शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को दूरभाष एवं व्हाट्सएप पर पेंशन प्रकरण शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है।


प्रपत्र सं. 1 से 8 के साथ विभाग में बकाया रहने वाले प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों की सूचना निम्नांकित पत्र में आवश्यक रूप से भेजी जावे। निदेशक महोदय द्वारा बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब को गंभीर माना जाकर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाने के निर्देश दिये हैं। अतः निदेशक महोदय के निर्देशानुसार बकाया पेंशन प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कराया जाकर समय समय पर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावे।

पेंशन प्रकरण बकाया रहने का विवरण पत्र :-

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	विभाग में कुल बकाया प्रकरणों की संख्या	एसीपी स्वीकृति के अभाव	सेवा के नियमितीकरण का अभाव	अवकाश स्वीकृति के अभाव में बकाया	फिक्सेशन एवं सेवा सत्यापन के अभाव	विभागीय जांच के कारण	कोर्ट केस के कारण	अन्य कारणों से बकाया प्रकरण (कारण का स्पष्ट उल्लेख करावे)
-------------------------------------	--	------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------	---


अतः समस्त संयुक्त निदेशक पेंशन सम्बन्धी सूचनाएँ (प्रपत्र 01 से 08) अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त कर समेकित रिपोर्ट दिनांक 20.11.2020 तक अनिवार्य रूप से भिजवाई जावे।

www.rajsevak.com

  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- समस्त प्रधानाचार्य, राउमावि, एवं समस्त प्रधानाध्यापक, रामावि को प्रति पृष्ठांकित कर निर्देश दिये जाते हैं कि आपके कार्यालय के अधीन बकाया पेंशन प्रकरणों की मोनेटरिंग की जाकर इसका 10 दिवस में निस्तारण करावे।
- अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर